संख्या-71/200/84-डे0ई0-14-नि0-25/2012

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 25 फरवरी, 2014

विषय:- वेतन समिति (2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के नियमित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में (छठा वेतनमान) वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा अन्य भत्तों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-82स्था0एस0/बत्तीस-2012, दिनांक 14-05-2012, जो सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पृष्ठांकित है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के नियमित कर्मचारियों को निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित वर्तमान वेतनमानों (चतुर्थ वेतनमान) को पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01-01-2006 से प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षित करते हुए सतम्भ-5 में अंकित वेतन बैण्ड तथा सतम्भ-6 में अंकित ग्रेड वेतन में इस शासनादेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	वर्तमान वेतनमान	01.01.96 प्रकल्पित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना (रूपये में)		
			वेतन बैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1-	750-940	2550-3200	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1800
2-	950-1500	3050-4590	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1900
3-	1025-1720	3285-5070	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2000
4-	1350-2200	4500-7000	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800
5-	1400-2300	4500-7000	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2800
6-	1400-2600	5000-8000	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
7-	3000-4500	10000-15200	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	6600

http://shasanadesh.up.nic.in/

2- पुनरीक्षित वेतन संरचना का उक्त लाभ निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन देय होगा:-

(1) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के नियमित कार्मिकों को उक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ दिनांक 01-01-2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ शासनादेश जारी होने के अगले माह से देय होगा।

(2) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के नियमित कार्मिकों को मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ते की दरें, जो राज्य कर्मियों को अनुमन्य है, का भुगतान, पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ वास्तविक रूप से भुगतान किये जाने की तारीख से किया जायेगा।

(3) उक्त वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार का वहन निगम द्वारा अपने स्रोतों से किया जायेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

3- उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 के प्रस्तर-1(2),(ख) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-241/दस-14,दिनांक 25 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
6- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन (तीन प्रतियों में)
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/